POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.04.2025

1. थाना बादलपुर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाला रवि काना गैंग का सहयोगी वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 देसी पिस्टल .32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक हुण्डई क्रेटा गाडी रंग काला रजि0 नं0 यू0पी0 16 डी0डब्लू0 9521 बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **24.03.2025** को वादी ने थाना बादलपुर पर तहरीर दी कि वह एक वरिष्ठ नागरिक के साथ - साथ भारतीय दूर संचार विभाग में 40 वर्ष सेवाएं देकर वर्तमान में तपोभूमि द स्कूल चलाने का काम करते है एंव उन्होने अपने रिटायरमेंट की सारी कमाई स्कूल में लगा दी। काफी समय से राजेन्द्र पुत्र भागमल व पंकज पराशर पुत्र राजकरण पराशर जो कि पत्रकार है तथा ट्राईसिटी नामक पोर्टल चलाता है, उपरोक्त दोनों व्यक्ति वादी के स्कूल के खिलाफ काफी वर्षो से फर्जी खबर चला रहे हैं और फिर उन्हे हटाने के नाम पर वादी से रूपये मांगते हैं, रूपये नहीं देने पर रवि काना गैंग की धमकी देकर जान से मारने की धमकी देते हैं। वादी सीधा-साधा आदमी है जिसके द्वारा डरकर पंकज और राजेंद्र को काफी रूपये दे चुका है। राजेन्द्र द्वारा वादी के स्कूल के खिलाफ़ काफी शिकायत जीएनआईडीए, बीएसए, इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेंट से भी की जबकि वादी द्वारा उचित सक्षम प्राधिकारी से सही समय पर सही अनुमोदन लेकर विद्यालय शुरु किया था। वादी एक वृद्ध एवं कैंसर से पीड़ित है। जिसको उपरोक्त अभियुक्त से भारी आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंची है। उपरोक्त अभियुक्तगण काफी मजबूत, बड़े और आपराधिक किस्म के लोग है। अवैध पैसो की मांग करने व बात ना मानने पर पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देते है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र भागमल 2. पंकज पाराशर पुत्र राजकरण पाराशर 3. ट्राइसिटी न्यूज पोर्टल के अन्य अभियुक्त के द्वारा आवेदक के स्कूल के खिलाफ धोखाधडी कर फर्जी न्यूज चलाना व न्यूज हटाने के नाम पर रंगदारी मांगना व रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 80/2025 धारा- 318(4)/351(2)/308(6) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में ट्राइसिटी न्यूज पोर्टल पर अन्य अभियुक्त के रूप में महकार सिंह भाटी पुत्र लज्जा राम भाटी निवासी- आई 18, बीटा 02 थाना बीटा 02, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर का नाम भी प्रकाश में आया जिसके द्वारा वादी द्वारा संचालित स्कूल तपोभूमि द स्कूल के खिलाफ अपने सहअभियुक्तगण 1.राजेन्द्र पुत्र भागमल निवासी ई 223 सेक्टर गामा-1 ग्रेटर नोएडा 2. पंकज पाराशर पुत्र राजकरण पाराशर निवासी सीनियर सिटीजन सो0 पी 3 ग्रेटर नोएडा के साथ मिलकर फर्जी खबर चलाने और फिर उन्हें हटाने के नाम पर कैश में पैसे मांगने एवं पैसे नहीं देने पर रवि काना गैंग की धमकी देकर जान से मारने की धमकी दी गयी है ,

कार्यवाही का विवरण-- **थाना बादलपुर पुलिस** टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त महकार सिंह भाटी पुत्र लज्जा राम भाटी निवासी- आई 18, बीटा 02 थाना बीटा 02, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर उम्र 55 वर्ष को **दिनाँक 04.04.2025** को अम्बेडकर पार्क, बादलपुर रोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देसी पिस्टल .32 बोर,03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक गाडी हुण्डई क्रेटा रंग काला रजि0 नं0 यू0पी0 16 डी0डब्लू0 9521 बरामद हुई है।

अभियुक्त का विवरण--

महकार सिंह भाटी पुत्र लज्जा राम भाटी निवासी- आई 18, बीटा 02 थाना बीटा 02, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर उम्र 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 80/2025 धारा- 318(4)/351(2)/308(6) बी0एन0एस0 व अन्तर्गत धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर
2. मु0अ0सं0 114/2025 धारा 188/190/386/506/388/389/120बी भादवि थाना सूरजपुर

बरामदगी का विवरण--

1. एक देसी पिस्टल .32 बोर, तीन जिन्दा कारतूस .32 बोर
2. एक गाडी हुण्डई क्रेटा रंग काला रजि0 नं0 यू0पी0 16 डी0डब्लू0 9521

2.थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 20,000 रूपये का इनामी गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.04.2025** को **थाना फेस-3** पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 20,000 रूपये का इनामी गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त फन्नू उर्फ अजमेर अली पुत्र मुस्ताख अली को सेक्टर-65 ग्रीन बेल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तंमचा मय दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा महोदय द्वारा 20,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर चार पहियां वाहनों की चोरी करना व अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध सम्पत्ति अर्जित करने जैसे गम्भीर अपराध कारित करना। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0-242/24 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्त का विवरण—

फन्नू उर्फ अजमेर अली पुत्र मुस्ताख अली निवासी कुरसैना, थाना जसवन्त नगर, जनपद इटावा उम्र 34 वर्ष।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 148/2025 धारा 3/25 आ0 एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 18/24 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 31/24 धारा 307/411/420/482/34 भादवि व 3/25/27 आमर्स एक्ट व 4/25 आमर्स एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 242/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 42/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना जसवन्त नगर, इटावा।

बरामदगी का विवरण--

एक अवैध तंमचा मय दो जिन्दा कारतूस

3. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 हथोडा व 01 अवैध चाकू के साथ किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.04.2025** को अभियुक्त नूरउल्ला हैदर पुत्र स्व0 गुलाम हैदर को घटना उपरान्त पूछताछ हेतु थाना लाया गया जिससे पूछताछ कर बाद साक्ष्य संकलन नियमानुसार पुलिस हिरासत मे लिया गया। दिनांक 04.04.2025 को वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 127/2025 धारा 103/61(1)बीएनएस बनाम 1. नूरउल्ला हैदर पुत्र स्व0 गुलाम हैदर आदि पंजीकृत किया गया था। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त नूरउल्ला हैदर ने बताया कि मै पिछले दस साल से बेरोजगार हूँ और मेरी पत्नी एनएमसी कम्पनी मे प्रोजेक्ट मेनेजर थी इसी बात को लेकर मेरी पत्नी मुझसे दुर्व्यवहार करती थी जिससे आपसी पारिवारीक विवाद चल रहा था। दिनांक 04.04.2025 को मेरी पत्नी फिर से मुझसे लडाई करने लगी तब मैने सोचा की रोज रोज की लडाई से अच्छा है कि इसे मार दू। मैने अपनी सोती हुयी पत्नी के पास जाकर उसकी गर्दन चाकू से काट दी जिससे खून निकलने लगा फिर कमरे मे ही रखी हथोडी से उसके सिर व चेहरे पर वार किया जिससे मेरी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 127/2025 धारा 103/61(1)बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का विवरण--

नूरउल्ला हैदर पुत्र स्व0 गुलाम हैदर निवासी सी 154 सेक्टर-15 थाना फेज-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 53 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1- एक अवैध चाकू घटना मे प्रयुक्त
2- एक हथोडी घटना मे प्रयुक्त

4. थाना दनकौर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार--

कार्यवही का विरण-- दिनांक **04.05.2025** को **थाना दनकौर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 213/24 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 214/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 215/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत वांछित अभियुक्त 1. कमल बत्रा पुत्र सुरेश कुमार बत्रा तथा मु0अ0सं0 213/24 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत वांछित अभियुक्त सुरेश कुमार बत्रा पुत्र लुनिन्दा राम (एल0आर0बत्रा) को ललिता पार्क लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पंकज माथुर निवासी अशोक विहार दिल्ली को पूर्व में **गिरफ्तार** कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादिया द्वारा 1. कमल बत्रा उर्फ राजू 2. पंकज माथुर 3. राहुल शर्मा अधिवक्ता 4. सुरेश कुमार बत्रा पुत्र लुनिन्दा राम (एल0आर0बत्रा) द्वारा बेईमानी से भूमि को हड़पने के सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 213/24 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 214/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 215/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत कराया था।

अभियुक्तों का विवरण--

1. कमल बत्रा पुत्र सुरेश कुमार बत्रा निवासी सी-31 गली नं0 4 महेन्द्र एन्कलेव थाना माडल टाउन जिला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली
2. सुरेश कुमार बत्रा पुत्र लुनिन्दा राम (एल0आर0बत्रा) निवासी सी-31 गली नं0 4 महेन्द्र एन्कलेव थाना माडल टाउन जिला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- अभियुक्त कमल बत्रा पुत्र सुरेश कुमार बत्रा--

1. मु0अ0सं0 213/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 214/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 215/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

- **अभियुक्त सुरेश कुमार बत्रा पुत्र लुनिन्दा राम--**

1. मु0अ0सं0 213/24 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर